न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 84/2023

GCMS No. : 2023/145

प्रार्थीः–	**बनाम**	**अप्रार्थीः–**
सरकार जरिये आनन्द कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली		घनश्यामदास पुत्र श्री वासुदेव मैसर्स सोनु ट्रेडर्स 485 सुभाष नगर ए पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 एवं धारा 52

उपस्थित :–

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक : 11.6.2024

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बाद नोटिस तामिल वक्त बहस न्यायालय में वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। प्रार्थी दिनांक 17.03.2023 को दौराने गश्त अप्रार्थी की फर्म मैसर्स सोनु ट्रेडर्स 485 सुभाष नगर ए पाली पर पहुंचा व अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाया। अप्रार्थी से नाम पता पुछने पर अपना नाम घनश्यामदास बताया एवं स्वंय को फर्म का मालिक होना बताया। फर्म के निरीक्षण के दौरान दुकान मे एक कार्टुन में 50–60 बोतल फुट्र डिंक (Spooty Brand) रखे पाये गये, जिसे अप्रार्थी ने आमजन को विक्रय हेतु रखा था। उसमें मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाहान के सामने फुट्र डिंक (Spooty Brand) का नमुना लेने कि इच्छा जाहिर की। जिसके लिए मेने दो प्रतियों में प्रपत्र 5–ए भरकर दिया जिसकी एक प्रति पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवा कर रसीद प्राप्त की। स्वतंत्र गवाहान नहीं होने कि स्थिति में मेरे साथ आये ओमप्रकाश कम्प्युटर ऑपरेटर कार्यालय हाजा को गवाह बनाया गया एवं अप्रार्थी को बता दिया की फुट्र डिंक (Spooty Brand) का नमुना वास्ते एफएसएसए एक्ट के तहत जाचं हेतु ले रहा हुं। प्रार्थी ने गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में फुट्र डिंक (Spooty Brand) की 32 बोतल वास्ते जांच हेतु क्रय कर उसकी कीमत 350/– रूपये नकद अप्रार्थी को देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। अप्रार्थी से खरीदशुदा फुट्र डिंक (Spooty Brand) को नियमानुसार पैक कर गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थित में चार लेबल तैयार किये, जिस पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पाली का कोड एवं सिरियल नम्बर आर–1723 लिखा एंव नमुना विवरण अंकित किया गया। चारों नमुनो को नियमानुसार सिलबंद कर अपने जाब्ते में लिया एंव मौके पर समस्त कार्यवाही कर मौका फर्द तैयार कि एवं अप्रार्थी व गवाहान को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होने स्वयं ने भी पढ़कर सुनकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म–6 की प्रतिया तैयार की तथा प्रत्येक पर नमुना सील लगाई, नमुना पैकेट मय फार्म नम्बर 6 की प्रति सीलमुहर करके नमुने को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी की फर्म से लिया गया फुट्र डिंक (Spooty Brand) का नमुना संख्या आर–1723 के संबध में खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

संख्या एलएस/649/एक्ट/2023/692 दिनांक 29.03.2023 के अनुसार Misbranded (मिथ्याछाप) पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Misbranded (मिथ्याछाप) फुट्र ड्रिंक (Spooty Brand) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

हमनें खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि प्रार्थी दिनांक 17.03.2023 को खाद्य पदार्थों के निरीक्षण हेतु अप्रार्थी की फर्म मैसर्स सोनु ट्रेडर्स 485 सुभाष नगर ए पाली पर गये। वहा पर उपस्थित अप्रार्थी घनश्यामदास ने स्वंय को फर्म का मालिक होना बताया। अप्रार्थी की फर्म पर रखे फुट्र ड्रिंक (Spooty Brand) में मिलावट का शक होने पर फुट्र ड्रिंक (Spooty Brand) को वास्ते जांच हेतु क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–1723 अंकित कर सीलबन्द किया गया। पत्रावली में सलंग्न प्रपत्र संख्या 5ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रपत्र 5ए में नमुने के संबध में समस्त जानकारी यथा कोड नम्बर, नमुने का विवरण, अप्रार्थी का नाम, प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं गवाह के हस्ताक्षर किये हुए है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की फर्म से फुट्र ड्रिंक (Spooty Brand) का नमुना लेते समय खाद्य सुरक्षा अधिनियमों की अक्षरशः पालना की गयी है जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है। अप्रार्थी की फर्म से वास्ते जांच लिये गये फुट्र ड्रिंक (Spooty Brand) का नमुना कोड संख्या आर–1723 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। जहां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी की फर्म से लिया गया फुट्र ड्रिंक (Spooty Brand) का नमुना Misbranded (मिथ्याछाप) पाया गया। जिसका अप्रार्थी द्वारा विक्रय करना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) के प्रावधानों का उल्लघंन है तथा धारा 52 के तहत शास्ति योग्य हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी द्वारा Misbranded (मिथ्याछाप) फुट्र ड्रिंक (Spooty Brand) का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत अप्रार्थी पर 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद ''0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि'' में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(डॉ राजेश गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 11/6/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ राजेश गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली